संख्या—आवं. 42 / सत्तर—रा०से०यो०को०—17—21 / 2017

प्रेषक,

अंशुमालि शर्मा,
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुल सचिव,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

उच्च शिक्षा (राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक) विभाग **लखनऊः दिनांक 22 जनवरी, 2018**

विषयः—वर्ष 2017—18 में राष्ट्रीय सेवा योजना—नियमित तथा विशेष शिविर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु छात्र संख्या का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पत्रांक—387,388 / रा.से.यो. / म.गां.का.वि.पी. वाराणसी, दिनांक 04—11—2017 एवं पत्रांक—390 / रा.से.यो. / म.गां.का.वि.पी. वाराणसी, दिनांक 27—11—2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन में प्राप्त प्रस्ताव / रिपोर्ट / 2016—17 की गतिविधियों की रिपोर्टों के मूल्यांकन एवं रिपोर्टों के परीक्षणोपरान्त वर्ष 2017—18 में राष्ट्रीय सेवा योजना—नियमित कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नानुसार छात्र संख्या आवंटित की जाती है:—

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	आवंटित छात्र संख्या		
		वर्ष 2017—18 के लिए पूर्व में आवंटित छात्र संख्या	वर्ष 2017—18 के लिए वर्तमान आवंटित छात्र संख्या	वर्ष 2017—18 के लिए कुल आवंटित छात्र संख्या
1	2	3	4	5
1.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी परिसर (विश्वविद्यालय परिसर)	2,000	200	2200
2.	श्री नीलम देवी महावि० धतुरी टोला, बलिया	—	200	200
3.	किसान स्नातको० महावि० रकसा रतसर, बलिया	—	200	200
4.	महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, गंगापुर परिसर, वाराणसी	100	100	200
5.	श्रीराम कालेज आफ कामर्स एण्ड एजू० पैगम्बरपुर पंचकोशी चौराहा, वाराणसी	100	100	200
6.	जटाधारी स्नातको० महावि० मारूफपुर, चन्दौली	200	100	300
7.	डा० राम मनोहर लोहिया पी०जी० कालेज, भैरवतालाब (राजा तालाब), वाराणसी	—	300	300
8.	के०बी० पी०जी० कालेज, मीरजापुर	—	200	200
9.	उदय प्रताप कालेज, वाराणसी	—	300	300
10.	श्री हरिश्चन्द्र स्नातको० महावि०, वाराणसी	—	300	300
11.	बसन्त राम नगीना स्नातको० महावि०, धरॉव, चन्दौली	—	100	100
12.	स्वामी शरण महावि० जमुरखां जनौली कमलापुर, चन्दौली	—	100	100
13.	भानुराव देवसर राजकीय स्नातको० महावि० सोनभद्र	—	200	200
14.	जे०एस०पी० महावि० कसयॉ कलॉ, सोनभद्र	—	200	200
	योग	2,400	2,600	5,000

2— उपरोक्त तालिका के कालम—5 में उल्लिखित सामान्य कार्यक्रम की छात्र संख्या का 50 प्रतिशत विशेष शिविर आयोजन हेतु आवंटित छात्र संख्या मानी जायेगी। उपरोक्त आवंटन में नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— उक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संबंधित संस्थाओं को इकाई आवंटन की सूचना प्रेषित करते हुए पंजीकरण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4— विशेष शिविरों के आयोजन की सूचना शिविर प्रारम्भ होने की तिथि से 15 दिन पूर्व पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से शासन को प्रेषित नहीं करने की दशा में भविष्य में इकाइयों का आवंटन सम्भव नहीं होगा।

5— भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी इकाइयों की गतिविधियों की मासिक रिपोर्टिंग ई—मेल के माध्यम से एन0एस0एस0 प्रकोष्ठ उ0प्र0 शासन व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रेषित करना अनिवार्य है। नियमित रिपोर्टिंग न करने वाली इकाइयों को भविष्य में निरस्त कर दिया जायेगा।

6— इकाइयों की निरन्तरता बनाये रखने के लिए विशेष शिविर के आयोजन के 15 दिन के भीतर शिविर की कम से कम 21 पेज की रिपोर्ट कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दिवस की गतिविधियों पर 02 पृष्ठ (7×2)=14 पृष्ठ), प्रत्येक दिन की कम से कम 04 फोटो व न्यूज पेपर कटिंग (चार फोटो प्रति पृष्ठ (×7) संलग्न होनी चाहिए एवं वर्ष भर किये गये नियमित कार्यक्रमों की भी रिपोर्ट (कम से कम 08 पृष्ठ की फोटो सहित)। रिपोर्ट की हार्ड कापी कार्यक्रम समन्वयक को व साफ्ट कापी शासन व कार्यक्रम समन्वयक दोनों को प्रेषित करें।

भवदीय,

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।

संख्या—आवं.42(1)/सत्तर—रा0से0यो0को0—2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कार्यक्रम सलाहकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय निदेशक, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, रा0से0यो0, क्षेत्रीय निदेशालय, हाल नं0 1, आठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर—एच0, अलीगंज, लखनऊ।
3. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, सेंट जान्स कालेज, आगरा।
4. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, इण्डियन लिटरेसी बोर्ड, साक्षरता निकेतन, कानपुर रोड, लखनऊ
5. समन्वयक, इम्पैनल्ड प्रशिक्षण केन्द्र, रा0से0यो0, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
6. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित वि0वि0, उ0प्र0।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अंशुमालि शर्मा)
विशेष कार्याधिकारी एवं
राज्य सम्पर्क अधिकारी।